

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 19/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. रामकरण पुत्र नाथूलाल जाति मीना निवासी ग्राम बागपुरा पटवार हल्का छारेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

अप्रार्थी

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: अप्रार्थी अनुपस्थित।

:—निर्णय:—

दिनांक: 5.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ और न ही अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम छारेडा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 1384 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, सम्वत 2003 मे गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 1430 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला बने। भू-प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041-2060 की संक्रिया में खसरा नम्बर 1430 मिन से खसरा नम्बर 3884 रकबा 0.27 है. बना, जो उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1989 के द्वारा रामकरण पुत्र नाथूलाल जाति मीना के नाम आवंटन किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 05.06.1990 के द्वारा रामकरण पुत्र नाथूलाल जाति मीना के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। आवंटन के 10 वर्ष बाद उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 22.06.2000 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 202 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 3884 रकबा 0.27 है. अप्रार्थी रामकरण पुत्र नाथूलाल जाति मीना के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्व खाते दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम छारेडा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 1384 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, सम्वत 2003 मे गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 1430 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला बने। भू-प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041-2060 की संक्रिया में खसरा नम्बर 1430 मिन से खसरा नम्बर 3884 रकबा 0.27 है. बना, जो उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1989 के द्वारा रामकरण पुत्र नाथूलाल जाति मीना के नाम आवंटन किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 05.06.1990 के द्वारा रामकरण पुत्र नाथूलाल जाति मीना के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। आवंटन के 10 वर्ष बाद उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 22.06.2000 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 202 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 3884 रकबा 0.27 है. अप्रार्थी रामकरण पुत्र नाथूलाल जाति मीना के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावे एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

( सुमित्रा पारीक )

अति० जिला कलक्टर दौसा

( सुमित्रा पारीक )

अति० जिला कलक्टर दौसा